

*Monthly Multidisciplinary  
Research Journal*

*Review Of  
Research Journal*

Chief Editors

---

**Ashok Yakkaldevi**  
A R Burla College, India

**Flávio de São Pedro Filho**  
Federal University of Rondonia, Brazil

**Ecaterina Patrascu**  
Spiru Haret University, Bucharest

**Kamani Perera**  
Regional Centre For Strategic Studies,  
Sri Lanka

## Welcome to Review Of Research

**RNI MAHMUL/2011/38595**

**ISSN No.2249-894X**

Review Of Research Journal is a multidisciplinary research journal, published monthly in English, Hindi & Marathi Language. All research papers submitted to the journal will be double - blind peer reviewed referred by members of the editorial Board readers will include investigator in universities, research institutes government and industry with research interest in the general subjects.

### **Advisory Board**

Flávio de São Pedro Filho Federal University of Rondonia, Brazil	Delia Serbescu Spiru Haret University, Bucharest, Romania	Mabel Miao Center for China and Globalization, China
Kamani Perera Regional Centre For Strategic Studies, Sri Lanka	Xiaohua Yang University of San Francisco, San Francisco	Ruth Wolf University Walla, Israel
Ecaterina Patrascu Spiru Haret University, Bucharest	Karina Xavier Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA	Jie Hao University of Sydney, Australia
Fabricio Moraes de Almeida Federal University of Rondonia, Brazil	May Hongmei Gao Kennesaw State University, USA	Pei-Shan Kao Andrea University of Essex, United Kingdom
Anna Maria Constantinovici AL. I. Cuza University, Romania	Marc Fetscherin Rollins College, USA	Loredana Bosca Spiru Haret University, Romania
Romona Mihaila Spiru Haret University, Romania	Liu Chen Beijing Foreign Studies University, China	Ilie Pintea Spiru Haret University, Romania
Mahdi Moharrampour Islamic Azad University buinzahra Branch, Qazvin, Iran	Nimita Khanna Director, Isara Institute of Management, New Delhi	Govind P. Shinde Bharati Vidyapeeth School of Distance Education Center, Navi Mumbai
Titus Pop PhD, Partium Christian University, Oradea, Romania	Salve R. N. Department of Sociology, Shivaji University, Kolhapur	Sonal Singh Vikram University, Ujjain
J. K. VIJAYAKUMAR King Abdullah University of Science & Technology,Saudi Arabia.	P. Malyadri Government Degree College, Tandur, A.P.	Jayashree Patil-Dake MBA Department of Badruka College Commerce and Arts Post Graduate Centre (BCCAPGC),Kachiguda, Hyderabad
George - Calin SERITAN Postdoctoral Researcher Faculty of Philosophy and Socio-Political Sciences Al. I. Cuza University, Iasi	S. D. Sindkhedkar PSGVP Mandal's Arts, Science and Commerce College, Shahada [ M.S. ]	Maj. Dr. S. Bakhtiar Choudhary Director,Hyderabad AP India.
REZA KAFIPOUR Shiraz University of Medical Sciences Shiraz, Iran	Anurag Misra DBS College, Kanpur	AR. SARAVANAKUMARALAGAPPA UNIVERSITY, KARAIKUDI,TN
Rajendra Shendge Director, B.C.U.D. Solapur University, Solapur	C. D. Balaji Panimalar Engineering College, Chennai	V.MAHALAKSHMI Dean, Panimalar Engineering College
	Bhavana vivek patole PhD, Elphinstone college mumbai-32	S.KANNAN Ph.D , Annamalai University
	Awadhesh Kumar Shirotriya Secretary, Play India Play (Trust),Meerut (U.P.)	Kanwar Dinesh Singh Dept.English, Government Postgraduate College , solan
		More.....



## “बाल श्रमिकों के परिवारों का एक शैक्षिक-समाजशास्त्रीय अध्ययन”

प्रमोद कुमार राजपूत<sup>१</sup>, भास्कर मिश्र<sup>२</sup>, प्रेरणा मित्तल<sup>३</sup>

<sup>१</sup>शोधार्थी— शिक्षाशास्त्र, स्वामी राम तीर्थ परिसर, हेमवंती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, टिहरी गढ़वाल।

<sup>२</sup>शोधार्थी— राजनीति विज्ञान, स्वामी राम तीर्थ परिसर, हेमवंती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, टिहरी गढ़वाल।

<sup>३</sup>सहायक आचार्य, शिक्षा-विभाग, श्रीराम कॉलेज, मुजफ्फरनगर उ.प्र.।



### सारांश

बाल श्रमिक किसी भी सभ्य समान एवं देश के लिए एक अभिशाप हैं, भारत में बाल श्रम एक राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है, अनेक गम्भीर प्रयत्नों के बावजूद भी बाल श्रमिकों की संख्या कम होने के बजाए तीव्रगामी ढंग से बढ़ती जा रही है। समसामायिक समस्या को दृष्टिगत रखकर शोधार्थी ने उपमुक्त समस्या का चयन बाराणसी जनपद में रिथित राजा का तालाब क्षेत्र को चयनित किया उपयुक्त शोध के उद्देश्यों में बच्चों के शारीरिक, मानसिक विकास, जीवन में स्वास्थ्य एवं साक्षरता के गुणों की प्राप्त करना प्रमुख है। इसके लिए शोधार्थी ने वर्णनात्मक, अन्वेषणात्मक प्रारूप के माध्यम से आकड़ों का संकलन उस क्षेत्र के सम्पूर्ण परिवारों में से यादृच्छिक स्तरीकृत न्यादर्श के माध्यम 50 परिवारों का चयन किया और साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से सूचना प्राप्त की सूचना उत्तरदाताओं का विवेचन से परिणाम निकला कि बाल श्रमिक गरीब-परीवार, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति के लोग हैं, इनमें शिक्षा का अभाव भी यदि उचित जन-योजनाओं, निःशुल्क जन शिक्षा के माध्यम से अभिशक्ति बाल-श्रम की समस्या से निजात मिल सकता है।

**मुख्य शब्द—** बाल-श्रमिक, जन-योजना, साक्षरता, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति।



### बाल श्रम की पृष्ठभूमि:-

किसी भी सामाजिक संरचना में व्यक्तियों की अहम भूमिका होती है, प्रत्येक समाज का स्वरूप व्यक्तियों के व्यवहार पर निर्भर करता है, व्यवहारों का निर्धारण सम्बन्धित समाज के संस्थापित सामाजिक मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में होता है। यदि हम ऐतिहासिक दृष्टि से समाज की सतत्यता पर दृष्टि डालें तो यह स्पष्ट होता है कि समाजालीन समाज में बच्चों का समाजीकरण तत्कालीन मान्य मूल्यों के सापेक्ष ही किया जाता रहा है। लेकिन काल एवं समय के परिवर्तन के समय सामाजिक मूल्यों में भी बदलाव होता गया।

वर्तमान में पूर्व संस्थापित सामाजिक मूल्यों की स्थिति में भौतिक मूल्य की प्रधानता होती जा रही है जिसके आधार पर सामाजिक विकास की अवधारणा विकसित हुयी है। विकास के मूल्य में भौतिक संसाधनों की उपलब्धता की प्रधानता होती है ऐसी दशा में समाज के निर्माण की इकाई

के प्रारम्भिक समूह परिवार के प्रतिमान में समसामयिक मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में कार्य करने लगते हैं फलतः बालक का समाजीकरण तदनुरूप होने लगता है। ऐसे समाजीकरण के कारण ही बालक धर्नाजन के प्रति उन्मुख होता है, जिसकी परिणति बाल श्रम के रूप में होती है।

भारतीय समाज में बालश्रम में बालश्रम की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि न तो बाल श्रमिकों से सम्बन्धित सही आंकड़े उपलब्ध हैं और न इसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा है। वर्तमान में हमारे देश में लगभग 30 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो विद्यालय नहीं जाते हैं। इनमें से कुछ को छोड़कर अधिकतर बच्चे बाल श्रमिक ही हैं जिसमें से अधिकतर बाल श्रमिकों का प्रवास महानगरों एवं कस्बों की तरफ होता है, जो अपना जीवन निम्न स्तर पर व्यतीत करने के लिए बाध्य होते हैं।

### बाल श्रमिक की अवधारणा:-

बाल श्रमिक किसी भी सभ्य समाज एवं देश के लिए एक अभिशाप हैं, भारत में बाल श्रम एक राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है। बाल श्रमिक की समस्या से भारत का कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है। अनेक गम्भीर प्रयासों के बाद भी बाल श्रमिकों की संख्या कम होने के बजाय निरन्तर बढ़ती जा रही है।

### अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन:-

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार वर्तमान में विश्व में लगभग 16 करोड़ बच्चों को अपनी आजीविका के लिए श्रम करना पड़ता है।

योजना (2012), ILO के आंकड़ों के अनुसार— विश्व में 25 करोड़ बाल श्रमिक हैं, जिनमें से 15.2 करोड़ एशिया, 7.6 करोड़ अफ्रीका तथा 1.8 करोड़ में अन्य महाद्वीप शामिल हैं। वहीं भारत में 4 करोड़ 44 लाख बाल श्रमिक हैं जो कुल श्रमशक्ति का लगभग 6% है।

कुरुक्षेत्र (2008), संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार – 20 लाख से अधिक बच्चे यौन कर्मी के रूप में काम कर रहे हैं। इस प्रकार बाल श्रमिकों के दो भागों में बाटा गया है—

1.वैधानिक बाल श्रमिक— वे बरल श्रमिक जिनकी आयु 14 वर्ष से अधिक पायी जाती है किन्तु वे व्यस्क नहीं हैं। कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की नियुक्ति पर प्रतिबन्ध है।

2.अवैधानिक बाल श्रमिक— इसके अन्तर्गत वे बाल श्रमिक जिनकी उम्र 14 वर्ष से कम पायी जाती है।

द्वितीय वर्ग के अन्तर्गत बाल श्रमिकों की संख्या भारत में सर्वाधिक है, इसके अन्तर्गत असंगठित उद्योगों में कार्यरत बालक, खेतिहर मजदूर, तथा वे सभी बच्चे जो गलत ढंग से अधिक उम्र दिखाकर कारखानों, बागानों और खाद्यानों आदि में शामिल कर लिए जाते हैं।

थार्नर (1962), ने श्रमिकों की तीन वर्गों का उल्लेख किया है, प्रथम के अन्तर्गत पूरे वर्ष में कार्यरत रहने वाले श्रमिक द्वितीय में व्यक्ति विशेष के लिए विशेष समय में श्रम करने वाले मजदूर तथा तीसरे श्रेणी में ऐसे श्रमिक जो कम मूल्य पर भू-स्वामियों या जमीदारों के लिए कार्य करते हैं।

श्रम—मन्त्रालय, (1969), ज्यादातर कार्यरत बाल श्रमिक कृषि, भू-भाग, दुकान, छोटे माप एवं अन्य उद्योगों में पाये जाते हैं।

सेन्सेस ऑफ इण्डिया गर्वमेंट ऑफ इण्डिया, नई-दिल्ली (2010), जहाँ सन् 1991 में बाल श्रमिक की संख्या 1.12 करोड़ थी, वहीं पर 2010 में 2.62 करोड़ हो गयी इससे पता चलता है कि जहाँ जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, वहीं बाल—मजदूरी में बढ़ोत्तरी हो रही है।

## बाल श्रम सम्बन्धी प्रमुख अधिनियम एवं कानूनी प्रावधान

1933 — बाल बन्धुआ श्रमअधिनियम

1938 — बाल रोजगार अधिनियम

1948 — कारखाना अधिनियम

1986 — बाल श्रम (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम

2000 — किशोर बाल न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम सन् 1948 के कारखाना अधिनियम से 15 वर्ष के कम आयु के लोग को बालक माना गया और उनके काम करने की अवधि 6 घण्टे नियुक्ति की गयी।

2003 में 86वें संविधान संशोधन विधयक द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है।

भारतीय संविधान के भाग—3 में वर्णित मौलिक अधिकार के अन्तर्गत बाल श्रम को गैर कानूनी घोषित किया गया है जैसा अनुच्छेद 24, बालश्रम के अन्तर्गत उपबन्ध है— कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को दुकानों, कारखानों, मिलों, जाशिवम पूर्ण काम पर प्रतिबन्ध लगाया गया।

**समस्या की उत्पत्ति—** शोधार्थी ग्रामीण परिवेश से सम्बन्धित है जिसके कारण शोधार्थी ने उत्तर प्रदेश के जनपद वाराणसी के नगरीय एवं ग्रामीण समूहों से सम्बन्धित बाल—श्रमिकों के परिवार जिसकी पृष्ठभूमि विविध रूप की रही है। जिसके सदस्य अपनी जीविका उपार्जन के लिए निरन्तर कार्यरत रहे हैं। अतः इसी काल से इन परिवारों के बच्चे मजदूरी करने हेतु विवश हुए। शोधार्थी का व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि बाल श्रमिक विभिन्न कार्यों में संलग्न हैं उनके इस संलीप्तता के लिए जहाँ उनकी दैनन्दिनी मूल—भूत जरूरतों जैसे भोजन, कपड़ा, घर, मूल प्रेरक का काम ही वहीं उनके घर के सदस्यों जैसे माता—पिता आदि बालकों को श्रम करने के लिए उत्प्रेरित करते रहे। इन तमाम असामान्य दशाओं को दृष्टि से रखकर सूक्ष्म विवेचना करने के समय विविध प्रकार की समस्याएं शोधार्थी के समक्ष सामने आयी हैं।

शोध के समय ऐसा तथ्य प्रकाश में आया कि ऐसे बाल श्रमिकों परिवारों में पुरुष सदस्यों की अपेक्षा महिलाएं एवं बालक कठिन परिश्रम करने के लिए बाध्य थे। पुरुष सदस्य आलसी एवं अकर्मण्य प्रवृत्ति के लक्षण प्रकट हुए। बाल श्रमिक सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से अनुसूचित एवं पिछड़े वर्ग के होने के साथ गरीब परिवारों से सम्बन्धित है जिन्हें नित्य उपयोग से सम्बन्धित संसाधनों के अभाव में श्रम करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अध्ययन के समय यह भी ज्ञात हुआ कि अधिकांश बाल श्रमिक परिवारों में परिवार के सदस्यों के पारस्परिक सम्बन्ध सौहार्द पूर्ण नहीं रहते अतः परिवार के टूटने की सम्भावनाएं अधिक रहती हैं।

विभिन्न स्रोतों से स्पष्ट हो चुका है कि ऐसे वर्ग के कल्याण हेतु भारतीय संविधान की निहित भावनाओं के समुच्चय में सरकारी उपबन्ध किये गये हैं जिसके क्रम में प्रशासनिक स्तर पर भी प्रयास किये जाते रहे हैं लेकिन वास्तव में संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप ऐसे निर्बल वर्गीय परिवारों को वांछित लाभ नहीं मिल पा रहा है अपितु अनेकों अभिकरणों द्वारा यथा राजनेता एवं अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में समाज कल्याण से सम्बन्धित जो कुछ आकड़े प्रस्तुत किये जा रहे हैं वे वास्तविकता से हटकर कपोल कल्पित प्रतीत होते हैं न कि वास्तविक सत्य।

प्रस्तुत समस्या पर शैक्षिक राजनैतिक एवं समाजशास्त्रीय दृष्टि पर जो भी शोध अध्ययन हुए हैं उनमें वस्तुनिष्ठता एवं आनुभविक प्रवृत्ति ज्यादा रही है जबकि समस्या की विषयनिष्ठता पर ध्यान कम दिया गया है। शोधार्थी का पूर्ण विश्वास है कि प्रस्तुत शोध अध्ययन से वस्तुनिष्ठता एवं विषयनिष्ठता के साथ आनुभविक अध्ययन से प्राप्त परिणाम इन तथ्यों को उजागर करने में सफल रहेगा कि बाल श्रमिक के प्रति उनके परिवार या सरकारी प्रयास दोनों में से कौन सा पक्ष ऐसा है जो बाल—श्रमिक प्रवृत्ति को कम करने में रोड़ा बन रहा है। प्राप्त परिणाम समस्या—निदान में अभूतपूर्व सफल सिद्ध होगा। निष्कर्षतः शोधार्थी ने बाल श्रमिक के परिवारों का एक शैक्षिक समाजशास्त्रीय

## **“बाल श्रमिकों के परिवारों का एक शैक्षिक-समाजशास्त्रीय अध्ययन”**

अध्ययन “वाराणसी जनपद में स्थित राजा—तालाब क्षेत्र पर आधारित शैक्षिक-समाजशास्त्रीय अध्ययन।” पर कार्य किया।

### **समस्या कथन—** “वाराणसी जनपद में स्थित राजा—तालाब क्षेत्र पर आधारित शैक्षिक समाजशास्त्रीय अध्ययन।”

**शोध के उद्देश्य—** प्रस्तुत अध्ययन ‘राजा—तालाब’ क्षेत्र के बाल—श्रमिक के परिवारों की स्थिति पर अवलम्बित है, इस दृष्टि में शोध क्षेत्र को एक इकाई मानकर श्रमिकों के परिवारों की मूल भूत समस्याओं का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है।

- 1.बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के परिणाम एवं उनके संरक्षण के विरुद्ध शोषण का अध्ययन।
- 2.बाल श्रमिक के जीवन में स्वास्थ्य एवं साक्षरता, गुणों में सुधारों का अध्ययन करना।
- 3.बाल श्रमिक के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन का विश्लेषण तथा औपचारिक तथ्यों को ज्ञात करना।
- 4.उद्योग या कार्यों में लगे हुए बालश्रमिक का भार एवं घटाव का अध्ययन करना।

**शोध—अवधारणाएँ—** अवधारणाएँ ही पूरे शोध के अध्ययन की आधारशिला हैं क्योंकि इसके विश्लेषण की प्रक्रिया ही शोध है, साथ ही ये पूरे शोध का दिशा—निर्देशन करती हैं।

- 1.अधिक संख्या में बाल—श्रमिक के परिवार बहुत ही निर्धन होते हैं।
- 2.विस्तृत संख्या में परिवार भूमिहीन एवं श्रमिक वर्ग के होते हैं।
- 3.बड़ी संख्या में बाल—श्रमिक अशिक्षित परिवारों के हैं।
- 4.पब्लिक इनके साथ दुर्व्यवहार एवं इनकी योग्यता एवं मेहनत का कम मूल्य देते हैं।
- 5.बाल—श्रमिक के जो विधिक नियम या उपबन्ध होते हैं उनमें मालिक गतिरोध पैदा करते हैं।

**सीमांकन—** प्रस्तुत शोध—अध्ययन में राजा—तालाब क्षेत्र में रहने वाले बाल—श्रमिक के परिवारों को सम्मिलित किया गया है।

**शोध—प्रक्रिया—** प्रस्तुत अध्ययन पद्धति में वर्णनात्मक, ऐतिहासिक एवं अन्वेषणात्मक शोध—प्रारूप का प्रयोग किया गया। प्रदत्तों का संकलन प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों की सहायता से किया गया। शाधार्थी ने अपना शोध—अध्ययन वाराणसी जनपद में स्थित ‘राजा—तालाब’ क्षेत्र में रहने वाले 50 परिवारों पर किया गया। परिवारों का चयन यादृच्छिक तथा स्तरीकृत दृष्टि से किया गया। अध्ययन के क्षेत्र में सूचनाएँ एकत्रित करने तथा समस्या को बेहतर अन्तर्दृष्टि के लिए स्वनिर्भर साक्षात्कार अनुसूची चयनित उत्तरदाताओं द्वारा सूचना प्राप्त करने के लिए किया गया। साक्षात्कार अनुसूची में बाल—श्रमिक के सामाजिक, आर्थिक मानसिक, शैक्षिक, तथा उनकी समस्याओं के बारे में प्राथमिक जानकारी प्राप्त की गयी, इसके अन्तर्गत मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों के प्रकार के प्रश्नों को रखा गया।

प्रस्तुत शोध अध्ययन में उत्तरदाताओं की सामाजिक एवं आर्थिक राजनैतिक, शैक्षिक पृष्ठभूमि के सम्बन्ध में प्राप्त सूचना (आंकड़े) का विश्लेषण करने के लिए सामान्य सांख्यिकीय प्रतिशतीय का प्रयोग किया गया।

### **शोध का विश्लेषण एवं विवेचना**

प्रस्तुत शोध—अध्ययन में प्रदाताओं की सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि के बारे में प्राप्त आंकड़े का विश्लेषण एवं विवेचन करने पर निम्न तथ्य उजागर हुए हैं—

#### **1.बाल श्रमिकों के परिवारों की सामाजिक पृष्ठभूमि**

**आयु—** आयु व्यक्ति के जन्म से लेकर उसके व्यतीत किये गये जीवन अबोध की ओर संकेत करता है आयु के आधार पर ही व्यक्ति के सम्पूर्ण जीवन—काल को विभाजित किया गया है—

#### **तालिका संख्या—1 बाल—श्रमिकों के परिवारों की सामाजिक पृष्ठभूमि का विवरण**

क्रमांक	आयु वर्षों में	योग	प्रतिशत (%)
1	21–30 वर्ष	13	26
2	31–40 वर्ष	23	46
3	41–50 वर्ष	14	28
	योग	50	100

उपरोक्त तालिका से विदित होता है कि उत्तरदाताओं का 21–30 वर्ष की आयु का प्रतिशत 26%, 31–40 वर्ष की आयु वाले 46% है जो सर्वाधिक संख्या में है, तथा 41–50 वर्ष आयु के 28% है। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय समाज में जातियों की सामाजिक आर्थिक परिस्थिति के परम्परागत और आधुनिक स्वरूप के भिन्न—2 शोध—अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि उच्च, मध्य, एवं निम्न जातियों में अधिक

## **“बाल श्रमिकों के परिवारों का एक शैक्षिक-समाजशास्त्रीय अध्ययन”**

परिवर्तन आया है। उन क्षेत्रों में कल-कारखानों का विकास हुआ उन क्षेत्रों में परम्परागत प्रतिबन्ध धीरे-2 बिखर रहे हैं।

### **2. बाल-श्रमिकों के जाति एवं धर्म से सम्बन्धित**

शोध-अध्ययन, गांव या शहर में रहने वाले सभी धर्म एवं जाति के लोगों का विवरण है।

**तालिका सं. 2**  
**प्रदाताओं की जाति एवं धर्म से सम्बन्धित विवरण**

क्रमांक	जाति एवं धर्म	संख्या	प्रतिशत (%)
हिन्दू	पिछड़ी जाति	4	8
	अनुसूचित जाति	42	84
	मुस्लिम	4	8
	योग	50	100

प्रस्तुत तालिका का विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि शोध-अध्ययन क्षेत्र में 84% प्रदाता अनुसूचित जाति के पाये गये तथा पिछड़े जाति में मात्र 8% हैं, तथा मुस्लिमों का भी 8% है। निष्कर्षतः गरीब परिवारों या निम्न जाति-धर्म के लोगों के परिवारों को मजूदरी करके अपनी आर्थिक इच्छाओं की पूर्ति करनी पड़ती है।

### **3. बाल-श्रमिक के परिवारों का मूल आवास से सम्बन्धित**

**तालिका सं.-3**  
**उत्तरदाताओं का मूल आवास का विवरण**

क्रमांक	आवास	संख्या	प्रतिशत (%)
1	ग्रामीण	43	86
2	नगरीय	7	14
	योग	50	100

उपरोक्त तालिका से विदित होता है कि बाल श्रमिक के परिवारों का मूल-आवास सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र में पाये गये जिनका 86% तथा नगरीय क्षेत्रों में पाये जाने वाले परिवारों का 14% है।

### **4. बाल-श्रमिक के परिवार के शैक्षिक पृष्ठभूमि**

शिक्षा व्यवित के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। बाल-श्रमिक परिवारों को शैक्षिक प्रतिशत वितरण तालिका के माध्यम दर्शाया गया है

**तालिका सं.-4**  
**प्रदाताओं की शिक्षा से सम्बन्धित विवरण**

क्रमांक	शिक्षा	संख्या	प्रतिशत (%)
1	निरक्षर	18	36
2	साक्षर	13	26
3	प्राथमिक स्तर	9	18
4	पूर्वमा. स्तर	5	10
5	हाईस्कूल	3	6
6	इंटरमीडिएट	2	4
7	स्नातक	—	—
8	प्रास्नातक	—	—
	योग	50	100

उपरोक्त तालिका का अवलोकन से स्पष्ट होता है कि परिवार के शैक्षिक स्थिति के सन्दर्भ में 36% परिवार अशिक्षित और 64% परिवार शिक्षित हैं। इसे विष्कर्ष निकलता है कि परिवार में शिक्षा का अभाव का मुख्य कारण विद्यालय का अभाव, रुचि का न होना निर्धनता और माता-पिता का शिक्षा के प्रति जागरूक न होना आदि प्रमुख समस्याएं दिखायी दी हैं।

### 5. बाल श्रमिक के परिवारों की मासिक आय का विवरण

**तालिका सं.-5**  
**परिवारों की मासिक आय का विवरण**

क्रमांक	आय (रुपये में)	संख्या	प्रतिशत (%)
1	500 से कम	2	40
2	500–1000	4	8
3	1000–1500	3	6
4	1500–2000	4	8
5	2000–2500	7	14
6	2500–3000	10	20
7	3000–3500	12	24
8	3500–4000	5	10
9	4000–4500	3	6
	योग	50	100

उपरोक्त तालिका का अवलोकन से स्पष्ट होता है कि परिवारों के मासिक आय में 500 से कम में 4% जो कि सबसे कम संख्या में है, जबकि मासिक आय में 3000–3500 वाले सर्वाधिक संख्या में हैं। बाल श्रमिक के परिवारों की कोई निश्चित आय न होने के कारण उन परिवारों के बच्चों को बाल श्रम कार्य में संलिप्त होते हैं जिससे परिवार की आय का जरिया बनते हैं।

### 6. परिवार में बाल श्रम में लगे बच्चों से सम्बन्धित विवरण

**तालिका सं.-6**  
**परिवार में बाल श्रम में लगे बालकों से सम्बन्धित विवरण**

क्रमांक	बाल श्रम में लगे हुए बच्चे	संख्या	प्रतिशत (%)
1	1–2	23	46
2	2–3	11	22
3	3–4	10	20
4	4–5	6	12
	योग	50	100

उपरोक्त तालिका का अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ऐसे परिवारों कि सर्वाधिक संख्या है जिस परिवार में बालकों की श्रमरत संख्या 1 से दो है उनका बाल श्रम 46% है जबकि ऐसे परिवार जहाँ बाल श्रम में संलिप्त बालकों की संख्या 2–3 में 22%, 3–4 में 20%, और 4–5 में 12% परिवार में बाल श्रम में लगे हुए बालक हैं। निष्कर्षतः गरीब परिवारों के लोगों को श्रम करके अपनी आर्थिक इच्छाओं की पूर्ति करनी पड़ती है।

### 7. परिवारों में बच्चों को बाल-श्रम करने के लिए बाध्य से सम्बन्धित विवरण

**तालिका संख्या-7**  
**परिवार में बच्चों को बाल-श्रम करने के लिए बाध्य से सम्बन्धित विवरण**

क्रमांक	अभाव	संख्या	प्रतिशत (%)
1	शैक्षिक रुचि का अभाव	11	22
2	आर्थिक तंगी	21	42
3	माता-पिता के आर्थिक सहयोग के लिए	14	28
4	अन्य	4	8
	योग	50	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि परिवार में अभाव से बालक बाल श्रम करते हैं, शैक्षिक रुचि के अभाव में 22% जबकि आर्थिक मजदूरी का 42% तथा माता-पिता के आर्थिक सहयोग में 28% हैं तथा अन्य में 8% हैं।

#### 8. परिवारों में बच्चों का पढ़ाई करने का कारण

**तालिका सं.-8**  
**परिवार में बालकों का पढ़ाई न करने का कारण का विवरण**

क्रमांक	कारण	संख्या	प्रतिशत (%)
1	विद्यालय अभाव	11	22
2	अज्ञानता	17	34
3	निर्धनता	19	38
4	अन्य	3	6
	योग	50	100

तालिका का अवलोकन से स्पष्ट होता है कि बच्चों की पढ़ाई न करने के कई प्रमुख कारण हैं, सबसे पहले विद्यालय का न होना में 22%, असमान्ता का होना के लोगों का सर्वाधिक 34% है निर्धनता में 38% है तथा अन्य में 6% है।

#### 9. परिवारों में शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या

**तालिका संख्या-9**  
**परिवारों में शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या का विवरण**

क्रमांक	शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चे	संख्या	प्रतिशत (%)
1	1-2	12	24
2	2-3	31	62
3	3-4	4	8
4	कोई नहीं	3	6
	योग	50	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि जो बालक शिक्षा प्राप्त करते हैं उनमें 1-2 संख्या वाले बच्चों का 24% है, 2-3 संख्या वाले बालकों का 62% तथा 3-4 संख्या वाले बच्चों का 8% है।

#### 10. शिक्षा प्राप्त न करने वाले बालकों की संख्या

**तालिका संख्या-10**  
**शिक्षा प्राप्त न करने वाले बालकों की संख्या का विवरण**

क्रमांक	शिक्षा प्राप्त न करने वाले बच्चे	संख्या	प्रतिशत (%)
1	1	12	24
2	2	31	62
3	3	4	8
4	कोई नहीं	3	6
	योग	50	100

तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जिन बच्चों की संख्या 1 है उनमें 38: प्रतिशत बालक हैं जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर सके तथा 2 की संख्या में 24% बालक हैं 3 की संख्या में 22% हैं।

## 11. परिवार में बच्चों के श्रम का स्वरूप

### तालिका संख्या-11 परिवार में बच्चों के श्रम का स्वरूप का विवरण

क्रमांक	श्रम का स्वरूप	संख्या	प्रतिशत (%)
1	500 से कम	17	34
2	500–1000	13	26
3	1000–1500	9	18
4	1500–2000	6	12
5	2000–2500	5	10
	योग	50	100

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दैनिक मजदूरी में 34 बालक हैं, बन्धुआ मजदूरी में 26 कृषि मजदूरी में 18 मासिक वेतन भोगी में 10 तथा अन्य में 20 हैं। बालक बाल-श्रम के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं।

#### शोध-निष्कर्ष—

शोध से प्राप्त आंकड़े यह स्पष्ट करते हैं कि अध्ययन क्षेत्र में बाल-श्रमिक गरीब परिवारों तथा पिछड़ी अनुसूचित जाति के लोग हैं, इन गरीब परिवारों में शिक्षा का अभाव, इसकी पूर्ति जनशिक्षा जागरूकता अभियान के अध्ययन से विश्वास दिलाना होगा कि शिक्षा के माध्यम यदि बच्चे पढ़-लिख सकेंगे तो उन्हें रोजगार प्राप्त कर स्वालम्बी बनकर समाज, राष्ट्र के विकास में भागीदार बन सकेंगे। साथ ही सरकार द्वारा चलायी गयी जन-योजना का लाभ दिलाने के लिए ऐसे परिवारों को जानकारी देकर उन्हें रोजगार के साधन उपलब्ध हो सकेंगे। इस शोध के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में उद्योगों का विकास के माध्यम से बेरोजगारी की समस्या का निदान एवं नगरीय क्षेत्रों की पलायन-प्रवृत्ति पर रोक लग सकेगी। शोध के माध्यम से जन-चेतना आ सकेगी परिणाम स्वरूप श्रमिकों के अल्प मजदूरी पर अधिक कार्य लेने की शोषणकारी प्रवृत्तियों पर प्रतिबन्ध लग सकेगा।

#### सन्दर्भ-सूची

- 1.ई.एस. बोगार्डस, ‘सोसियोलॉजी’, पेज-543।
- 2.पी.वी. यंग; साइन्ससिटिफिक सोशलसर्व एण्ड रिसर्च, पेज-44।
- 3.योजना, नवम्बर, 2008।
- 4.कुरुक्षेत्र, 2008।
- 5.मुखर्जी, आर. के., “द इण्डियन वर्किंग क्लास”।
- 6.मुखर्जी, आर. के., “द डायनामिक्स ऑफ रूरर सोसायटी” बर्लिन, 1957।
- 7.थार्नर, डी. एण्ड थार्नर, एस., “लैण्ड एण्ड लेबर इन इण्डिया”, एशिया पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, 1962।
- 8.मिनिस्टरी ऑफ लेबर, ‘रिपोर्ट ऑफ द नेशनल कमीशन आन लेबर’, गर्वमेन्ट ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली, 1969।
- 9.योजना, 2012।
- 10.भारतीय सामाजिक संस्थान।
- 11.अग्रवाल एस.एल. “लेबर रिलेशन्स लॉ इन इण्डिया”, द मैकमिलन कॉरपोरेशन लि., नई दिल्ली, 1978।
- 12.कुलश्रेष्ठा, जै.सी.; “चाइल्ड लेबर इन इण्डिया”, आशीष पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 1978।
- 13.लोहिया, राम मनोहर; “जाति प्रथा”, नव हिन्द, हैदराबाद-1953।
- 14.गिरि, वी.वी.; “भारतीय उद्योग में श्रमिक समस्या”, एशिया पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली-1960।



**प्रमोद कुमार राजपूत**

**शोधार्थी— शिक्षाशास्त्र, स्वामी राम तीर्थ परिसर, हेमवंती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, टिहरी गढ़वाल।**

# Publish Research Article

## International Level Multidisciplinary Research Journal For All Subjects

Dear Sir/Mam,

We invite unpublished Research Paper,Summary of Research Project,Theses,Books and Books Review for publication,you will be pleased to know that our journals are

### Associated and Indexed,India

- ★ Directory Of Research Journal Indexing
- ★ International Scientific Journal Consortium Scientific
- ★ OPEN J-GATE

### Associated and Indexed,USA

-  DOAJ
-  EBSCO
-  Crossref DOI
-  Index Copernicus
-  Publication Index
-  Academic Journal Database
-  Contemporary Research Index
-  Academic Paper Database
-  Digital Journals Database
-  Current Index to Scholarly Journals
-  Elite Scientific Journal Archive
-  Directory Of Academic Resources
-  Scholar Journal Index
-  Recent Science Index
-  Scientific Resources Database